College of Agriculture
(Agriculture University, Jodhpur)
Bikaner Road, Nagaur- 341001 (Rajasthan)
कृषि महाविद्यालय
(कृषिविश्वविद्यालय, जोधपुर)
बीकानेर रोड, नागौर –341001 (राजस्थान)

Dr. M. K. Poonia
OSD cum Dean

Phone: 01582-247525 (O)
Mob.: 09828357322
email: coanagaur15@gmail.com

No. F.( )Estt/CoA/NGR/2020/23 Date: 18.05.2020

निविदा सूचना

कृषि महाविद्यालय नागौर के फार्म पर वर्ष 2020–21 में हिस्सा आधारित बीज उत्पादन खेती करने के लिये मोहर बंद लिफाफे में निविदाएं (लगभग 2 लाख रूपये, कुल अक्षरे दो लाख रूपये) आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक व्यक्ति निविदा प्रपत्र एवं शर्तें विश्वविद्यालय वेब साइट www.aujodhpur.ac.in या राजस्थान राज्य लोक उपपन की वेबसाइट http://sppp.rajashthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते है। निविदादाता, धरोहर राशि रुपये 10000/- (अक्षरे दस हजार रुपये मात्र) एवं निविदा प्रपत्र शुल्क 500/- रूपये (अक्षरे पांच सौ मात्र) दिनांक 01.06.2020 सोमवार को दोपहर 12:00 बजे तक बैंक ड्राफ्ट, रोकड या बैंकर चेक के साथ अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, नागौर के नाम देय हो, संलग्न कर जमा करवा सकते हैं। यह निविदा उसी दिन दोपहर 1:00 बजे उन्हीं निविदादाताओं के समक्ष खोली जाएंगी। किसी भी निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।

अधिष्ठाता

Copy to the following for information and n/a please

1. The Director Research, AU, Jodhpur
2. The Comptroller, AU, Jodhpur
3. Treasury office, AU, Jodhpur
4. Account Section/Store Section of COA, Nagaur
5. Guard file CoA, Nagaur
6. Person concerned –

अधिष्ठाता

कृषि महाविद्यालय, नागौर

(कृषि विश्वविद्यालय,जोधपुर)

क्रमांक एफ / कृ.म. / नागौर / 2020 / 23 दिनांकः– 18.05.2020

हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की खेती हेतु निविदा (वर्ष 2020–21)

निविदा क्रम संख्या	क्रमांक एफ / कृ.म. / नागौर / 2020 / दिनांकः– 18.05.2020
निविदा प्रपत्र शुल्क	500 / –रुपये रसीद संख्या ....दिनांकः–
निविदा वर्ष	2020–21
खेती की अनुमानित अवधि	जून, 2020 से नवम्बर, 2020 तक
अनुमानित लागत	2,00,000/- रुपये
परिशिष्ट संख्या–एक	हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की खेती हेतु निविदा प्रपत्र
परिशिष्ट संख्या–दो	हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की खेती हेतु निविदा की आवश्यक शर्तें
निविदा प्रपत्र उपलब्ध होने की तिथि	19.05.2020
निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि	01.06.2020 दोपहर 12.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि	01.06.2020 दोपहर 01:00 बजे
निविदा खोलने का स्थान	कार्यालय, अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, नागौर
पत्राचार हेतू पता	अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, नागौर 341001

नोटः–धरोहर राशि कार्यालय, अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, नागौर में किसी भी कार्य दिवस में जमा कराई जा सकती है। धरोहर राशि दिनांक 01.06.2020 दोपहर 12:00 बजे तक ही स्वीकार की जायेगी । धरोहर राशि रोकड़ या बैंक ड्राफ्ट द्वारा जो कि अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, नागौर के नाम से देय हो, जमा करायी जा सकती है।

संलग्नः– निविदा प्रपत्र एवं आवश्यक शर्तें–

अधिष्ठाता

परिशिष्ट –1

हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की खेती हेतु निविदा प्रपत्र (वर्ष 2020–21)

(निविदा शर्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् ही निविदा प्रस्तुत करें)

निविदा क्रम संख्या	क्रमांक एफ/कृ.म./नागौर/2020/23 दिनांकः– 18.05.2020
निविदा का नाम	हिस्सा आधारित प्रणाली पर वर्ष 2020–21 मे बीजोत्पादन फसलों की खेती
खेती की अनुमानित अवधि	जून, 2020 से नवम्बर, 2020 तक
निविदादाता का नाम व पता	.... दुरभाष नं.............................. आधार नं................................
धरोहर राशि का विवरण	रुपये 10000/- (अखरे दस हजार मात्र) (रोकड़/बैक ड्राफ्ट) रसीद सं. .... दिनांक....................... बैंक ड्राफ्ट सं. .... दिनांक......................... बैंक का नाम .... शाखा..........................

कृषि महाविद्यालय, नागौर के फार्म पर वर्ष 2020–21 में हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की पैदावार मे दाना/बीज उपज मे निविदादाता /ठेकेदार एवं कृषि महाविद्यालय, नागौर की हिस्सेदारीः–

क्र. सं	मौसम व वर्ष	निविदादाता / ठेकेदार का हिस्सा (प्रतिशत मे)	कृषि महाविद्यालय, नागौर का हिस्सा (प्रतिशत मे)	निविदादाता के हिस्से का उत्पादन कृषि महाविद्यालय, नागौर द्वारा क्रय करने पर औसत दर से देय भुगतान के अतिरिक्त राशि (बोनस 100 रुपये प्रति क्वि.)
1	खरीफ 2020			

हस्ताक्षर–निविदादाता (ठेकेदार)

निविदादाता का नाम................................

पता..

....

आधार नं...

Mahe ✓

परिशिष्ट –2

हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की खेती हेतु आवश्यक शर्तें

(निविदा शर्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् ही निविदा प्रस्तुत करें)

1 निविदा सीलबन्द लिफाफे मे अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, नागौर के नाम से देय हो तथा निविदा लिफाफे पर हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की खेती हेतु निविदा दिनांक 01.06.2020 दोपहर 12:00 बजे तक देय तथा निविदादाता का पता लिखा होना चाहिये।

2 निविदा बॉलप्वाईंट नीली स्याही से हाथ से लिखी होनी चाहिये एवं हिस्सा (प्रतिशत में) अंको व शब्दो मे स्पष्ट लिखा होना चाहिये तथा किसी प्रकार की कांट छांट अथवा ऊपर ठीक किया हुआ कोई अक्षर स्वीकृत नहीं होगा।

3 निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पेज पर निविदादाता के हस्ताक्षर होने चाहिये।

4 निविदा दरें वर्ष 2020–21 के लिए अनुमोदन के बाद उक्त समय अवधि के लिए मान्य होगी। कृषि महाविद्यालय, नागौर के फार्म पर फसलोत्पादन वर्षा आधारित होता है।

5 निविदा के साथ 10000 रुपये की धरोहर राशि रोकड़ अथवा बैंक ड्राफ्ट, जो कि अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, नागौर के नाम देय हो, प्रस्तुत करें। धरोहर राशि के बिना एवं निर्धारित दिनांक एवम् समय के पश्चात् प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। चैक के रुप मे धरोहर राशि स्वीकार नहीं की जायेगी।

6 ट्रेक्टर संबंधी कार्य यथा डिस्क प्लाउ व कल्टीवेटर द्वारा भूमि तैयारी का कार्य व बुवाई आदि हेतु आवश्यक मशीनरी की व्यवस्था केन्द्र द्वारा की जायेगी अर्थात् इनसे डीजल खर्च व्यवस्था में निविदादाता का कोई योगदान नहीं होगा परन्तु इस कार्य में समस्त प्रकार के श्रमिक अवयव ठेकेदार के होंगें।

7 बुवाई हेतु बीज व खाद की आपूर्ति महाविद्यालय द्वारा की जायेगी। खेत की सफाई,जुताई,सीड ड्रिल द्वारा बुवाई,खरपतवार निकालना,सफाई व पैकिंग आदि का कार्य ठेकेदार स्वयं ही करायेगा अर्थात बुवाई से फसल काटने,फसल की चौकीदारी करने व उत्पादन निकालने तक का श्रमिक अवयव व इसके बाद उत्पादन की सफाई करके उसे बोरों मे भरकर पैकिग कर गोदाम में तौलने तक की प्रक्रिया में लगने वाला समस्त श्रमिक अवयव निविदादाता का ही होगा।

8 फसल वृद्धि के दौरान रोग व कीट प्रकोप की स्थिति मे फफूंदनाशक, कीटनाशक व अन्य छिड़काव आदि की आपूर्ति भी महाविद्यालय ही करेगा। परंतु श्रमिक अवयव निविदादाता के ही होंगे।

9 बीज उत्पादन हेतु विभिन्न प्रकार की शस्य क्रियाएं जैसे निराई–गुड़ाई (कम से कम दो बार) एवं रोगिंग (अवांछित पौधों को निकालना) अधिष्ठाता/फार्म प्रभारी/फार्म मैनेजर के निर्देशानुसार करनी होगी तथा सभी श्रमिक अवयव निविदादाता को वहन करना होगा।

10 निराई–गुड़ाई व अन्य कृषि से सम्बन्धित कार्य मौसम की स्थिति को देखते हुए करने होंगे। प्रतिकूल मौसम होने पर उक्त कार्य रोके जाने का अधिकार अधिष्ठाता/फार्म प्रभारी/फार्म मैनेजर को होगा।

11 किसी भी विवाद का निपटारा करने हेतु अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, नागौर का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा तथा ठेकेदार इसके लिये बाध्य होगा।

12 फसलों की रखवाली करने की, समय पर निराई–गुड़ाई व जैविक दवाओं का छिड़काव/ भुरकाव तथा समय पर कटाई की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।इसमें शिथिलता बरतने व नुकसान होने पर समिति द्वारा आंकलन किया जायेगा, जिसे निविदादाता के भुगतान में से काट लिया जायेगा।

13 ठेकेदार के श्रमिकों द्वारा यदि फार्म की सम्पति (कृषि या अन्य) को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचाया गया तो उसका हर्जाना ठेकेदार को भरना होगा अन्यथा नुकसान का हर्जाना अदा नहीं करने पर धरोहर राशि में से काट लिया जायेगा।

14 धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा एवं ठेका समाप्ति पर राशि लौटा दी जायेगी।

15 फसल के दौरान निविदादाता स्वयं के पशु वगैरह फार्म पर नहीं लायेगा तथा ना ही यहां से चारा आदि ले जाने दिया जायेगा। कृषि महाविद्यालय, नागौर के फार्म पर उपलब्ध घास,लूंग,पातड़ी व पेड़ इत्यादि पर ठेकेदार का कोई अधिकार नहीं होगा।

16 निविदादाता (ठेकेदार) उक्त केन्द्र की भूमि पर किसी प्रकार के स्वामित्व का दावा नहीं करेगा तथा किसी अन्य व्यक्ति को काश्त हेतू आगे से आगे नहीं देगा अन्यथा उसका ठेका रद्द कर दिया जायेगा।

17 निविदादाता को केन्द्र के मुख्य द्वार से ही आना जाना करना होगा। किसी भी अंवाछित व्यक्ति को फार्म पर आने की इजाजत नहीं होगी।

18 हिस्सा आधारित बीजोत्पादन खेती की बुवाई के क्षेत्रफल को बढ़ाने या कम करने का तथा फसलों के चयन का अधिकार अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, नागौर का होगा।

19 केन्द्र के फार्म पर निविदादाता को अधिष्ठाता/फार्म प्रभारी/फार्म मैनेजर द्वारा बताई गई फसलों की ही बुवाई करनी होगी, इसके अलावा कोई भी फसलों की बुवाई निविदादाता द्वारा नहीं की जा सकेगी।

20 फार्म कार्य हेतु आवश्यक मशीनरी जैसे फ़ावड़ा,कुदाली,गेती,खुरपी,दांतली आदि ठेकेदार को स्वयं लाने होंगे।

21 निविदादाता को वर्ष 2020–21 में बीजोत्पादन फसलों की खेती से प्राप्त उपज उक्त मौसमों की समय अवधि में समय पर जमा करानी होगी।

22 फार्म में उत्पादित बीज में से ठेकेदार के हिस्से को खरीदने का पहला हक कृषि महाविद्यालय, नागौर का होगा। यदि निविदादाता के हिस्से का उत्पादन इस केन्द्र द्वारा क्रय किया जाता है तो केन्द्र उसे उपज जमा कराने के तुरन्त पश्चात नागौर कृषि उपज मंडी के एक सप्ताह के औसत भाव से अतिरिक्त राशि (प्रतिशत में) जो कि निविदा स्वीकृति में देय है की दर से भुगतान करेगा। अन्यथा ठेकदार अपना हिस्सा स्वयं ले जाने व बेचने को स्वतन्त्र होगा ।.

23 महाविद्यालय के फार्म पर बीजोत्पादन कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। इसमें महाविद्यालय कोई क्षतिपूर्ति देने के लिए बाध्य नहीं होगा।

24 बीज उत्पादन प्रक्रिया में फसल के चारे का हिस्सा 70 प्रतिशत ठेकेदार का होगा, 30 प्रतिशत केन्द्र के पास होगा। लेकिन ठेकेदार इसको दाने की पैदावार जमा कराने के बाद ही ले जा सकेगा।

25 अमानत राशि/धरोहर राशि कार्य पूरा हो जाने के बाद लौटा दी जायेगी। सफल निविदादाता के अलावा सभी को धरोहर राशि निविदा अनुमोदन के बाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर 7 दिन मे लौटा दी जायेगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

26 किसी भी विवाद का निपटारा करने हेतू अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, नागौर का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा और ठेकेदार पालना के लिये बाध्य होगा। विशेष परिस्थितियों में विवाद को माननीय कुलपति महोदय, कृषि विश्वविधालय,जोधपुर के ऑविस्ट्रेशन में प्रस्तुत करना होगा और उनका निर्णय ठेकेदार को मान्य होगा।

27 किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, नागौर के पास सुरक्षित रहेगा ।

मुझे निविदा की समस्त 27 शर्तें मंजूर हैं तथा मैं उपरोक्त वर्णित शर्तों पर उक्त खेती करने के लिये सहमत हूँ ।

निविदादाता/ठेकेदार के हस्ताक्षर

दिनांक........................ निविदादाता का नाम..

पता...

....

आधार नं...

हस्ताक्षर, कमेटी सदस्य

1 (signature) 2 (signature)

3 (signature) 4

(signature)

अधिष्ठाता

कृषि महाविद्यालय, नागौर